(1)

MUNICIPAL CORPORATION OF BHILAI

NIT

जोन क्रमांक 03 अंतर्गत ट्रेक्टर टेंकर से पेयजल प्रदाय कार्य 2025–26

Item Rate

S.N.	PARTICULERS OF ITEMS	No of Tanker	Day	Trip/Day	Qty	AMt
1	जोन 03 अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु से ट्रेक्टर टेंकर से पेयजल प्रदाय कार्य (2025–26)					
a	(01 अप्रेल से 30 अप्रेल 2025 तक)	1	30	9	270	
b	(01 मई से 31 मई 2025 तक)	2	31	9	558	
c	(01 जून से 30 जून 2025 तक)	2	30	9	540	
d	(01 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक)	2	15	9	270	
		Total Trip			1638.00	

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, भिलाई

सहायक अभियन्ता
नगर पालिक निगम, भिलाई

उप अभियन्ता
नगर पालिक निगम, भिलाई

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

जोन क्रमांक ०३ मदरटेरेसा नगर

जोन क्रमांक ०३ अंतर्गत ट्रेक्टर टेंकर से पेयजल प्रदाय कार्य (2025-26)

//नियम एवं शर्तें//

1. पेयजल वितरण कार्य हेतु प्रदाय निजी ट्रेक्टर टेंकरों का व्यय (वाहन चालक/हेल्पर सहित) एजेंसी द्वारा स्वयं के व्यय से करेगा एवं एजेंसी को जलप्रदाय, कार्य की सूचना प्राप्ति के 02 घंटे के भीतर कार्य करना होगा।
2. निगम के अधिकारियों द्वारा पेयजल वितरण व्यवस्था के संबंध में समय–समय पर दिये गए निर्देषों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. पेयजल वितरण कार्य का लॉगबुक संधारित करना होगा, एवं सत्यापित कराना होगा।
4. निदान 1100 में प्राप्त षिकायत का संधारण 24 घंटे के अंदर करना आवष्यक होगा। अन्यथा प्रतिदिन राषि रू. 1000.00 पेनाल्टी देयक से कटौती की जायेगी।
5. पेयजल वितरण कार्य हेतु लगे निजी ट्रेक्टर टेंकरों की आर.सी. एवं फिटनेस सर्टिफिकेट, वाहन की बीमा एवं अनिवार्य सभी वैध दस्तावेज अनुबंधित एजेंसी को संलग्न करना अनिवार्य है।
6. पेयजल वितरण कार्य हेतु लगे निजी ट्रेक्टर टेंकरों के वाहन चालकों की ड्राईविंग लाईसेंस एवं अन्य वैध दस्तावेज अनुबंधित एजेंसी को संलग्न क रना अनिवार्य है।
7. पेयजल अत्यावष्यक व्यवस्था है इस परिस्थिति में इसकी निरंतरता बनाये रखना आवष्यक होगा, इसके लिए एजेंसी को ट्रेक्टर टेंकर एवं वाहन चालक स्थापन्न के रूप में रखना होगा, ताकि ट्रेक्टर टेंकर खराब होने पर पेयजल प्रदाय व्यवस्था प्रभावित न हो।
8. दर समस्त कर सहित देना होगा, पृथक से कर/षुल्क देय नहीं होगा।
9. पेयजल वितरण कार्य हेतु लगे निजी ट्रेक्टर टेंकर की देखभाल सुरक्षा एवं संधारण की जिम्मेदारी अनुबंधित एजेंसी की होगी।
10. अनुबंधित एजेंसी को प्रतिमाह मासिक देयक कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई को प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत देयक से देय करों की कटौती कर देयक का भुगतान किया जावेगा।
11. कार्य की अवधि में आवष्कतानुसार वृद्धि की जा सकेगी, उक्त अवधि में अनुबंधित दरों एवं शर्तो पर कार्य करने हेतु अनुबंधित एजेंसी बाध्य रहेगी।
12. आवष्कतानुसार कार्य मात्रा बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए अनुबंधित एजेंसी बाध्य होगी।
13. अनुबंधित एजेंसी को श्रम कानून का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. सक्षम अधिकारी द्वारा समय–सयम पर दिये गये निर्देषों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. प्रत्येक देयको से सुरक्षा निधि के रूप में 5 प्रतिषत की राषि अस्थाई रूप से रोकी जावेगी, जिसका भुगतान सफलता पूर्वक कार्य करने पर अंतिम देयक के साथ किया जावेगा।
16. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो इसकी जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं अनुबंधित एजेंसी हेतु बंधनकारी रहेगा।
18. 24 घंटे की सूचना में ट्रेक्टर/टेंकर उपलब्ध कराने के लिए बाद्ध होगा।

जोन आयुक्त	कार्यपालन अभियंता	सहायक अभियंता	उप अभियंता
नगर पालिक निगम,	नगर पालिक निगम,	नगर पालिक निगम,	नगर पालिक निगम,
भिलाई	भिलाई	भिलाई	भिलाई

Scanned with CamScanner